भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2297
जिसका उत्तर शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 2025 को दिया जाना है

**जिला सत्र न्यायालयों की स्थापना**

**2297. श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के नवगठित जिलों में से उन जिलों की संख्या कितनी है जहाँ सत्र न्यायालय स्थापित नहीं हुए हैं ;

(ख) इन नए जिलों में सत्र न्यायालय स्थापित करने हेतु राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इसकी स्वीकृति की स्थिति क्या है और स्थापना हेतु समय-सीमा क्या है ;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में सत्र न्यायालय स्थापित करने हेतु स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई धनराशि का जिला-वार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार ने नवगठित जिलों में सत्र न्यायालयों के कार्यान्वयन में विलंब का कारण बने किसी अवसंरचनात्मक, प्रशासनिक या न्यायिक बाधाओं को चिन्हित किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

**(क) से (घ) :** संविधान के अनुच्छेद 235 के अनुसार, जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, जिसमें राज्य की न्यायिक सेवा से संबंधित उन व्यक्तियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति एवम् अवकाश की स्वीकृति सम्मिलित है, जो जिला न्यायाधीश के पद से निम्न किसी पद पर कार्यरत हैं, उच्च न्यायालय में निहित होगी। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, अमरावती के द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य में तेरह (13) नवनिर्मित जिले हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

| क्र.सं. | जिला का नाम | मुख्यालय |
|---|---|---|
| 1. | श्री सत्य साई | पुट्टपर्थी |
| 2. | अन्नमय्या | **रायचोटी** |
| 3. | तिरुपति | तिरुपति |
| 4. | **काकीनाड़** | **काकीनाड़** |
| 5. | **कोनसीमा** | अमलापुरम |
| 6. | अल्लूरी सीतारामा राजू | पाडेरु |
| 7. | पल्नादु | नरसारावपेट |
| 8. | बापतला | बापतला |
| 9. | एनटीआर | **विजयवाड़ा** |
| 10. | नंदयाल | नंदयाल |
| 11. | **पार्वतीपुरम मन्याम** | **पार्वतीपुरम** |
| 12. | पश्चिम गोदावरी | भीमावरम |
| 13. | अनकापल्ली | अनकापल्ली |

नवगठित राजस्व जिलों के साथ सहसमाप्त न्यायिक जिलों के विभाजन और इन जिलों में न्यायालयों, जिनमें सत्र न्यायालय भी सम्मिलित हैं, की स्थापना से संबंधित विषय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार से परामर्श कर विनिश्चय किया जाएगा।

तथापि केंद्रीय सरकार, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायपालिका हेतु आधारभूत संरचना सुविधाओं के विकास के लिए राज्य के संसाधनों को बढ़ाने हेतु 1993-94 से निर्धारित निधि साझेदारी पैटर्न (केंद्र और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के मध्य) के अंतर्गत केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना (सीएसएस) का कार्यान्वयन कर रही है। आंध्र प्रदेश के लिए निधि साझेदारी पैटर्न केंद्र और राज्य के बीच 60 और 40 के अनुपात में है। योजना के प्रारंभ से आंध्र प्रदेश राज्य को कुल 286.37 करोड़ रुपये (तारीख 31.01.2015 तक) की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है, जिसमें से 126.73 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2014-15 से जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायपालिका हेतु आधारभूत संरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं।

*****